

# 1291

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -

कपासन जिला - चितौडगाढ)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 126

प्र.सं. 1011

दापर दिनांक 09/10/25

निर्णय दिनांक 09/10/25



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खाने	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	कपासन	31	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टि - स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड, जयपुर शुद्ध प्रविष्टि -	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुश्रुति स्वीकार की जाकर राज. भू.स. अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसूचित राजस्व रेकार्ड में ग्राम कपासन प.ह. कपासन में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार कपासन  
तहसील कपासन जिला-चितौडगाढ

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चितौडगाढ